राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3157/2025

डॉ. भारती टाक

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (राजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) विभाग, राजस्थान।
4. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।
5. डॉ. शशि व्यास प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.07.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप अधीक्षक के पद पर उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में कार्यरत है। इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 17.06.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उप अधीक्षक उम्मेद अस्पताल, जोधपुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ/प्रसूति रोग विशेषज्ञ से चिकित्सा अधिकारी उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2025 (अनुलग्नक–2) को भी इस अपील में चुनौती दी है, जिसके द्वारा राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग ने निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 डॉ. शशि व्यास, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर को अपने कार्य के साथ–साथ उम्मेद अस्पताल,

जोधपुर में उप अधीक्षक के पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेशों तक संपादित करने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अनुचित तरीके से निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजि किया है, जो अवैध एवं नियम–विरूद्ध है। आलोच्य आदेश दिनांक 17.06.2025 सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद धारित करती है, जो उप अधीक्षक के पद के समकक्ष होता है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी दर्शित किया गया है, जो गलत है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी ने उपरोक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन दिनांक 18.06.2025 (अनुलग्नक–4) भी प्रस्तुत किया है, परंतु उक्त अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

3. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया।

4. प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.06.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 15.06.2025 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी गई है। आदेश दिनांक 17.06.2025 के द्वारा डॉ. भारती टाक, चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सालय की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ओपीडी में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी इससे पहले उप अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के पद का कार्य देख रही थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2025 द्वारा डॉ.शशि व्यास, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपने पद के साथ–साथ उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में उप अधीक्षक के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के कारण आदेश दिनांक 17.06.2025 जारी किया गया है। आलोच्य आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 15.06.2025 में राज्य सरकार द्वारा डॉ. शशि व्यास को अपने कार्य के अतिरिक्त उप अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर का कार्यभार सौंपा गया है। जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय, अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ओपीडी में पदस्थापित किया गया है।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन आदेशों में क्या अनियमितता एवं नियम–विरूद्धता है, क्योंकि अधीक्षक द्वारा जारी आदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश की अनुपालना के क्रम में जारी किया गया है। आलौच्य आदेश से उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में ही कार्य विभाजन किया गया है, जो स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल,

जोधपुर को अस्पताल की व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकगणों एवं अन्य स्टाफगणों को अस्पताल की जरूरतों के दृष्टिगत विभिन्न विभागों में पदस्थापित किये जाने की शक्तियां निहित है। इस प्रकरण में अपीलार्थी को उसी चिकित्सालय में अन्य विभाग में चिकित्सालय की जरूरतों के दृष्टिगत पदस्थापित किया गया है, जो स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य नहीं की जाती है। ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष